ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 81

ग्रामीण विकास विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		62668.75	36.95	62705.70	62158.75	41.40	62200.15	66092.18	37.86	66130.04
पूंजी		*1.25*	...	*1.25*	*1.25*	...	*1.25*	*7.82*	...	*7.82*
जोड़		**62670.00**	**36.95**	**62706.95**	**62160.00**	**41.40**	**62201.40**	**66100.00**	**37.86**	**66137.86**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	21.55	21.55	...	22.76	22.76	...	20.46	20.46
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2501	2112.75	...	2112.75	2112.75	...	2112.75	2675.18	...	2675.18
	4515	1.25	...	1.25	1.25	...	1.25	7.82	...	7.82
	जोड़	2114.00	...	2114.00	2114.00	...	2114.00	2683.00	...	2683.00
जोड़-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		**2114.00**	**...**	**2114.00**	**2114.00**	**...**	**2114.00**	**2683.00**	**...**	**2683.00**
ग्रामीण रोजगार										
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु सहायता (पूर्वनाम रोजगार गारंटी योजना हेतु सहायता)	2505	39100.00	...	39100.00	39100.00	...	39100.00	40100.00	...	40100.00
आवास										
4. ग्रामीण आवास	2216	7918.00	...	7918.00	7918.00	...	7918.00	8996.00	...	8996.00
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम										
5. डीआरडीए प्रशासन	2515	225.00	...	225.00	225.00	...	225.00	364.50	...	364.50
6. राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कार्यक्रम को अनुदान	2515	13.50	14.00	27.50	13.50	17.27	30.77	94.50	16.00	110.50
7. कापार्ट को सहयोग	2515	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	100.00	...	100.00
8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2515	27.00	...	27.00	27.00	...	27.00	111.20	...	111.20
9. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	2515	67.50	1.40	68.90	67.50	1.37	68.87	108.00	1.40	109.40
10. बीपीएल सर्वेक्षण	2515	...	...	...	1.35	...	1.35	0.65	...	0.65
	3601	...	...	...	133.50	...	133.50	145.07	...	145.07
	3602	...	...	...	0.15	...	0.15	0.08	...	0.08
	जोड़	...	...	...	*135.00*	...	*135.00*	*145.80*	...	*145.80*
जोड़-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		**383.00**	**15.40**	**398.40**	**518.00**	**18.64**	**536.64**	**924.00**	**17.40**	**941.40**
सड़कें और पुल										
11. केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण	*3054*	*4843.13*	...	*4843.13*	*4183.13*	...	*4183.13*	*4434.12*	...	*4434.12*
11.01 पीएमजीएसवाई पर सीआरएफ से प्राप्त राशि	3054	-4843.13	...	-4843.13	-4183.13	...	-4183.13	-4434.12	...	-4434.12
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)										
12.01 कार्यक्रम संघटक	3054	9583.00	...	9583.00	9475.00	...	9475.00	9996.00	...	9996.00
12.01 ईएपी संघटक	3054	1350.00	...	1350.00	810.00	...	810.00	890.00	...	890.00
	जोड़	*10933.00*	...	*10933.00*	*10285.00*	...	*10285.00*	*10886.00*	...	*10886.00*
13. राष्ट्रीय निवेश फंड (एनआईएफ) को अन्तरण	2505	...	...	...	11730.00	...	11730.00	18768.00	...	18768.00
	2216	...	...	...	5280.00	...	5280.00	8448.00	...	8448.00
	जोड़	...	...	...	17010.00	...	17010.00	27216.00	...	27216.00
13.01 एनआईएफ से प्राप्त राशि										
13.1.01 राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना	2505	...	...	...	-11730.00	...	-11730.00	-18768.00	...	-18768.00
13.1.02 ग्रामीण आवास	2216	...	...	...	-5280.00	...	-5280.00	-8448.00	...	-8448.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी फंड - अंतरण										
से	2505	39100.00	...	39100.00	39100.00	...	39100.00	40100.00	...	40100.00
तक	2505	-39100.00	...	-39100.00	-39100.00	...	-39100.00	-40100.00	...	-40100.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	2222.00	...	2222.00	...	...	...	...	...	...
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान										
16.01 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	2552	...	...	...	236.00	...	236.00	301.00	...	301.00
16.02 ग्रामीण आवास	2552	...	...	...	882.00	...	882.00	1004.00	...	1004.00
16.03 डीआरडीए प्रशासन	2552	...	...	...	25.00	...	25.00	40.50	...	40.50
16.04 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अन्तरण	2552	...	...	...	1.50	...	1.50	10.50	...	10.50
16.05 ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान	2552	...	...	...	3.00	...	3.00	12.80	...	12.80
16.06 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	2552	...	...	...	7.50	...	7.50	12.00	...	12.00
16.07 बीपीएल सर्वेक्षण	2552	...	...	...	15.00	...	15.00	16.20	...	16.20
16.08 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-कार्यक्रम संघटक	2552	...	...	...	1055.00	...	1055.00	1114.00	...	1114.00
	जोड़	...	...	...	2225.00	...	2225.00	2511.00	...	2511.00
कुल जोड़		***62670.00***	***36.95***	***62706.95***	***62160.00***	***41.40***	***62201.40***	***66100.00***	***37.86***	***66137.86***
	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक	13054	...	6500.00	6500.00	...	6500.00	6500.00	...	10000.00	10000.00
	जोड़	...	*6500.00*	*6500.00*	...	*6500.00*	*6500.00*	...	*10000.00*	*10000.00*
ग. आयोजना परिव्यय										
केन्द्रीय आयोजनाः										
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	12501	2114.00	...	2114.00	2114.00	...	2114.00	2683.00	...	2683.00
2. ग्रामीण रोजगार	12505	39100.00	...	39100.00	39100.00	...	39100.00	40100.00	...	40100.00
3. आवास	22216	7918.00	...	7918.00	7918.00	...	7918.00	8996.00	...	8996.00
4. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	12515	383.00	...	383.00	518.00	...	518.00	924.00	...	924.00
5. सड़क और पुल	13054	10933.00	6500.00	17433.00	10285.00	6500.00	16785.00	10886.00	10000.00	20886.00
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	2222.00	...	2222.00	2225.00	...	2225.00	2511.00	...	2511.00
जोड़		**62670.00**	**6500.00**	**69170.00**	**62160.00**	**6500.00**	**68660.00**	**66100.00**	**10000.00**	**76100.00**

1. प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), जो 1.4.1999 से शुरु की गई है, को व्यापक कार्यक्रम के रूप में माना गया है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू अर्थात् ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना तथा उनकी क्षमता का निर्माण, प्रशिक्षण, क्रियाकलाप समूहों की आयोजना, आधारभूत सुविधा का विकास, बैंक ऋण एवं सब्सिडी के जरिए वित्तीय सहायता और विपणन सहायता आदि शामिल हैं । विगत अनुभव से यह भी पता चला है कि यदि प्रयास वैयक्तिक आधार की बजाए समूह आधार पर किए जाएं तो सफलता की दर अधिक होती है । इस प्रकार कार्यक्रम में स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है । इसमें निर्धारित प्रमुख क्रियाकलापों में माइक्रो-इण्टरप्राइजेज के विकास में समूह दृष्टिकोण पर भी बल दिया जाता है । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं घनिष्ठ रूप से एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और स्वरोजगारियों के चयन तथा परियोजना पूरी होने के बाद की निगरानी आदि की दृष्टि से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लेकर कार्यक्रम के कार्यान्वयन तक में शामिल हैं। केन्द्र एवं राज्यों के बीच निधियों का वहन 75:25 के अनुपात में किया जाता है, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अनुपात 90: 10 है। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार एसजीएसवाई के तहत लक्ष्य समूह हैं। योजना के दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि लक्ष्य समूह में 50%, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां होंगी, 40% महिलाएं होंगी, 15% अल्पसंख्यक तथा 3% विकलांग व्यक्ति होंगे।

सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी कॉरपोरेट निकाय आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ देश भर के जिलों और क्षेत्र में समयबद्ध परियोजना मोड में नई दूरगामी पहल शुरु करने के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का 15% एसजीएसवाई विशेष परियोजना शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित किया गया है ।

इस प्रावधान में प्रस्तावित ग्रामीण आजीविका मिशन में शुरू कि जाने वाले उप-घटक 'महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना' के लिए 100 करोड़ रु की राशि शामिल है ।

3 और 14. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था । यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम वाला कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है । सरकार ने 2 फरवरी 2006 को शुरु हुए इस अधिनियम के क्रियान्वयन के पहले चरण में देश में 200 जिलों में इसे क्रियान्वित किया है । इसके चरण-II के अंतर्गत, 130 और जिले अधिसूचित किए गए और दिनांक 1.4.2007 से इन्हें इसके दायरे में लाया गया । अधिनियम के तहत दिनांक 1.4.2008 से इसके चरण-III के अंतर्गत कवर किए जाने वाले देश के शेष जिले भी अधिसूचित किए गए हैं जिससे सभी जिलों को निर्धारित समय-सीमा में कवर कर लिया जाएगा ।

2.10.2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" कर दिया गया है ।

4. इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य है - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण तथा मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों के उन्नयन में सहायता उपलब्ध कराना । 1995-96 से आई.ए.वाई. का लाभ सशस्त्र एवं अर्धसैनिक बलों के सेवा के दौरान शहीद हुए सदस्यों के परिवारों को भी दिया गया है । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की सहायता के लिए योजना के अंतर्गत कम से कम 60% निधियां निर्धारित की जाती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत निधियां आरक्षित हैं । बीपीएल अल्पसंख्यकों (15%) के लिए आईएवाई निधियां तथा वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

आवासीय इकाई निरपवाद रूप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर आवंटित की जानी चाहिए । विकल्प के रूप में, इसे पति-पत्नी दोनों के नाम आवंटित किया जा सकता है । यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य न हो तो मकान पुरुष सदस्य के नाम आवंटित किया जा सकता है ।

इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में प्रत्येक मकान के निर्माण के लिए 35,000रु. तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों में 38,500 रु. की सहायता दी जाती है। आई.ए.वाई. के वार्षिक आवंटन का 20%, कच्चे मकानों के उन्नयन तथा/अथवा ऋण-सह-सब्सिडी योजना के लिए खर्च किया जा सकता है । आईएवाई मकानों को विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना में भी शामिल किया गया है ताकि आईएवाई के अंतर्गत दी गई वित्तीय सहायता के अलावा उन्हें राष्ट्रीय बैंकों द्वारा 4% ब्याज दर पर प्रति इकाई 20000 रू. तक का ऋण मुहैया कराया जा सके। 32,000 रु. से कम की वार्षिक आय वाले परिवारों को उन्नयन के लिए 15000-रु. और ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत 12,500 रु. तक की सब्सिडी दी जाती है । वे आवास के निर्माण हेतु बैंकों से 50,000 रु. तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं । वित्तपोषण को केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100% राशि केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के मामले में निधियां 90: 10 के अनुपात में वहन की जाती हैं । इंदिरा आवास योजना के भाग के रूप में, अगस्त, 2009 से ऐसे ग्रामीण बीपीएल परिवारों, जिनके पास रहने के लिए भूमि / स्थान नहीं है, के मकानों के निर्माण के लिए आवास-स्थल / वास भूमि क्षेत्र के लिए प्रति लाभार्थी 10000 रू. तक राशि देने की व्यवस्था की गई है । केंद्र और राज्य के बीच निधियों का वित्तपोषण 50:50 के आधार पर किया जाना है । इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएवाई लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके । आईएवाई के साथ संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, पेयजल आपूर्ति, आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का तालमेल बिठाया गया है ।

प्राकृतिक आपदाओं तथा दंगा, आगजनी और आग, असामान्य परिस्थितियों में पुनर्वास जैसी आकस्मिक परिस्थितियों इत्यादि से उत्पन्न होने वाली जरूरतों से निपटने के लिए आईएवाई के तहत कुल आबंटन का 5% अलग रखा जाता है। कोई जिला अपने वार्षिक आबंटन का 10% अथवा 70.00 लाख रु. (राज्य अंश सहित), जो भी अधिक हो, का उपयोग कर सकता है।

दंगा, आगजनी और आग जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में पीड़ितों को तुरंत राहत पहुँचाने के लिए जिला कलक्टरों को क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण में पीड़ितों को उपर्युक्त अधिकतम सीमा के तहत, सहायता देने के लिए जिले के आवंटन में से (जिसमें राज्य का हिस्सा शामिल है) अथवा अपने निजी संसाधनों से निधियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

5. डी.आर.डी.ए. प्रशासन की योजना का उद्देश्य, डीआरडी एजेंसियों को सुदृढ़ करना और उन्हें अधिक पेशेवर तथा कारगर बनाना है । इसे एक ओर तो मंत्रालय के गरीबी विरोधी कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए विशेषाज्ञता प्राप्त एक सक्षम एजेंसी के रूप में देखा जाता है और दूसरी ओर यह इन कार्यक्रमों को जिले में गरीबी उपशमन के समस्त प्रयासों के साथ जोड़ती है । इस योजना का वित्तपोषण, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90: 10 के अनुपात में किया जाता है । दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीआरडी एजेंसियों को सीधे 2 किस्तों में निधियां प्रदान की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र द्वारा 100% निधियां प्रदान की जाती हैं ।

6. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संस्थान है । विकासात्मक मुद्दों पर पाठ्यक्रम आयोजित करने के अलावा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के कर्मियों की क्षमता का निर्माण एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

7. लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) का उद्देश्य विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आवश्यकता आधारित अभिनव परियोजनाओं में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से लोगों को शामिल करना है । कपार्ट सामाजिक संचलन के उच्च स्तर के माध्यम से सामाजिक बाधाओं को कम करके एवं ग्रामीण गरीबों को अधिकार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आन्दोलन शुरु करने का कार्य करती है ।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के लिए प्रावधान (पुरा) का उद्देश्य, निर्धारित ग्रामीण बस्तियों में वास्तविक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में अन्तर को समाप्त करना है ताकि उनकी विकास क्षमता को बढ़ाकर ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोका जा सके ।

9. इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण क्रियाकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को मजबूती प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जिला नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का प्रावधान शामिल है ।

10. मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्ष्य में रखे जाने वाले ग्रामीण बीपीएल परिवारों के निर्धारण के उद्देश्य से बीपीएल सर्वेक्षण कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।

11 तथा 12.01 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर, 2000 को शुरु की गई थी । यह शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी वाली संपर्करहित बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है । पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तरांचल) तथा मरूभूमि क्षेत्रों के मामले में इसका उद्देश्य 250 एवं उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़क से जोड़ना है । आधुनिकीकरण के अंग के रूप में कम प्राथमिकता के साथ मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के उन्नयन की भी अनुमति है । इस बात की संभावना की जाती है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.67 लाख बसावटों को कवर किया जाएगा । इसमें 2004-05 के मूल्य स्तर पर 1,32,000 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत से नए सड़क सम्पर्क के लिए 3,65,279 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण और 3,68,000 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का उन्नयन कार्य शामिल है ।

'ग्रामीण सड़कों' को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक घटक के रूप में निर्धारित किया गया है जिसका उद्देश्य 1000 लोगों की आबादी वाले सभी गांव (पर्वतीय अथवा जनजातीय क्षेत्रों में 500) 2009 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ना है । भारत निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2012 तक 1,46,185 कि.मी. लम्बाई की सड़कें बनाए जाने का प्रस्ताव है । इससे देश में सड़कों से न जुड़ी 54,648 पात्र बसावटों को लाभ पहुंचेगा । खेत से बाजार तक पूरा सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा 1,94,130 कि.मी. लम्बे 'एसोसिएटेड थ्रू रूट्स' के उन्नयन का भी प्रस्ताव है ।

12.02 पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों में एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता से क्रमशः ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजनाएं I एवं II तथा ग्रामीण सड़क परियोजनाएं I एवं II नामक 2 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

इसके अलावा, 2010-11 के लिए आई एंड ईबीआर के रूप में नाबार्ड का आरआईडीएफ विंडो से पीएमजीएसवाई के लिए ऋण के रूप में 10000.00 करोड़ रु का आबंटन किया गया है।

13. राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण का संबंध ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु सहायता अनुदान के रूप में आंशिक निधियन के लिए उपयोग की जाने वाली विनिवेश आय से है।

16. पूर्वोत्तर राज्यों जिनमें सिक्किम शामिल है, के लाभ के लिए परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान किया गया है ।

सं.81/ ग्रामीण विकास विभाग